दिलीप सिंह विरूद्ध अनीता प्रजापति

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2618-दो / 14 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदे ा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.8.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 250 का है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण अंतिम आदेश के साथ किए जाने के आदेश दिए हैं और प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुतिच अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र.,ग्वालियर	

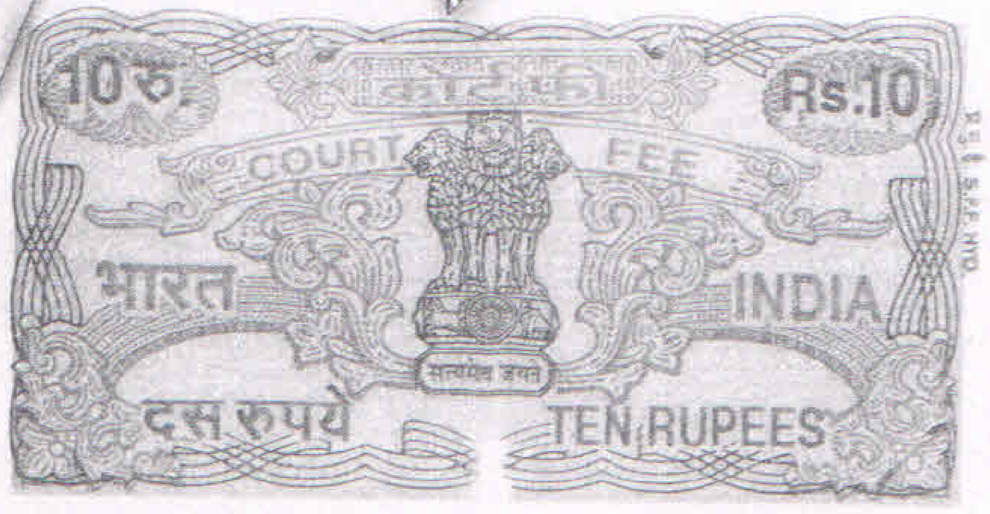

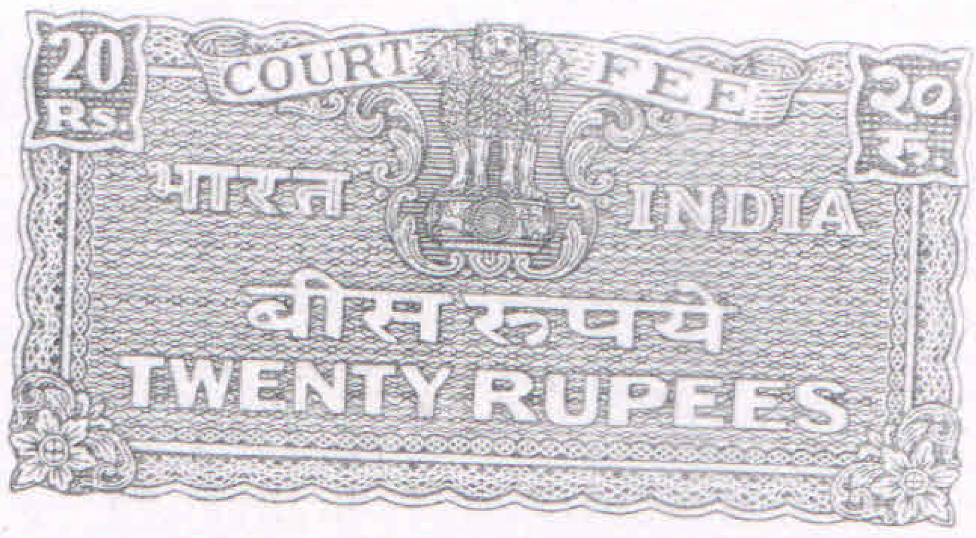

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

दिलीप सिंह जाट आत्मज स्व. कन्हैया लाल जाट
निवासी नरसिंहपुर तहसील व जिला नरसिंहपुर .... **आवेदक**

बनाम

अनीता प्रजापति आत्मज गोपाल प्रसाद प्रजापति
निवासी शंकराचार्य वार्ड, कंदेली तहसील व जिला नरसिंहपुर ... **अनावेदक**